

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-02 / एम0एम0(बा0)-01 / 17-..... / एम0, पटना, दिनांक.....
प्रेषक,

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- अत्यधिक स्वामिस्व के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार राज्यान्तर्गत बालूघाटों की बंदोबस्ती लोक नीलामी द्वारा पंचांग वर्ष 2015-19 के लिए की गयी है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधानानुसार प्रत्येक वर्ष उतनी बालू की मात्रा का प्रेषण किया जाना है, जितना प्रत्येक वर्ष की बंदोबस्ती राशि में स्वामिस्व दर के भाग देने से प्राप्त होता है। नियत मात्रा से अधिक प्रेषण पर अत्यधिक स्वामिस्व (Excess Royalty) देय होता है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि निम्नलिखित प्रपत्र में बालूघाटों के प्रेषण की विवरणी उपलब्ध करायी जाय:-

जिला का नाम:-

क्र0	वर्ष	बंदोबस्ती राशि	स्वामिस्व दर से भाग देने के उपरांत प्रेषण की तय मात्रा	प्रेषित खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक:-..... / एम0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित उप निदेशक को सूचनार्थ। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करावें।

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक:—...../एम0, पटना, दिनांक


प्रतिलिपि:—संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आँकड़ों के संकलन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करावें।


ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक:—3433...../एम0, पटना, दिनांक 23/8/18.....

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


23/8


23/8/18

सहायक निदेशक (मु0)